ग्राम पंचायत धार टटोह, विकास खण्ड सदर जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2014 से 03/2017

भाग—एक

1 **प्रस्तावनाः—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत धार टटोह, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :—

प्रधान :—

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री परमानन्द	01.04.2014 से 22.01.2016
2	श्रीमति निशा देवी	23.01.2016 से 31.03.2017

सचिव :—

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री कृष्ण लाल	01.04.2014 से 13.12.2016
2	श्री रूप लाल	14.12.2016 से 31.03.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत धार टटोह, विकास खण्ड सदर जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र•	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेश में अन्तर	2.38
2	7	नियम विरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का प्रयोग	——
3	14	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.69
4	15	अनुदान की राशि का अवरोधन	38.76

5	17	बैंक से बिना बिल/वाउचर के समर्थन के राशियां आहरित करके किया गया संभावित गवन	7.01
6	18	स्व स्त्रोतों की आय को बैंक में जमा न करवाकर व्यय हेतु उपयोग करके किया गया संभावित गवन	1.26
7	19	बिना वाउचर/बिलों के व्यय रोकड़ बही में दर्ज करके किया गया संभावित गवन	3.04
8	20	बिना उचित बिलों के किया गया संदिग्ध व्यय	6.03
9	22	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टाक स्टोर का क्रय करना	6.03
10	24	बैंक प्राप्तियों तथा ब्याज की आय का रोकड़ बही में लेखांकन न करने बारे	0.30
11	25	रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जाना	——
12	32	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनियमित रूप से सहायता राशि वितरित करना	0.40
13	34	मस्ट्रौल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना करके किया गया अनियमित भुगतान	4.74
14	35	निर्माण कार्यों के निष्पादन में निर्माण सामग्री की मानक प्रमात्रा से अधिक खपत करना	0.49

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत धार टटोह, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 12/06/2017 से 17/06/2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 02/2015, 09/2015, 01/2017 व 01/2015, 09/2015, 03/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। वर्ष 2016—17 के दौरान माह 11/2016 में एक ही लेन देन है जो कि ₹25,23,454 का बैंक खाता 2639 से 8588 को अन्तरण है इस लिए इस वर्ष में व्यय की अंकेक्षण जांच हेतु माह 03/2017 को चयन किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्कः–**

ग्राम पंचायत धार टटोह, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–104 दिनांक 16/06/2017 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशी हि. प्र. रा. स. बैंक लखनपुर के मल्टीसिटि चैक संख्या 633261 दिनांक 17–06–2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4 **वित्तीय स्थितिः–**

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	2186116	5336954	7523070	5475961	2047109
2015–16	2047109	6016255	8063364	6950404	1112960
2016–17	1112960	8812431	9925391	6049265	3876126

टिप्पणीः– ग्राम पंचायत धार टटोह द्वारा स्व–स्त्रोतों (खाता ''क'') के आय–व्यय के लिए नियमानुसार ही हि. प्र. राज्य सह. बैंक की लखनपुर शाखा में बचत खाता 11410102539 अलग से खोलकर तथा इससे सम्बन्धित आय व्यय का लेखांकन खाता ''क व ख'' की संयुक्त रोकड़ बही में ही किया जा रहा है परन्तु इससे सम्बधित लैजर तथा वर्गीकृत सार का अनुरक्षण नहीं किया गया है। इस कारण से पंचायत के स्व–स्त्रोतों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की जा सकी है।

5 **बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर नियमानुसार तैयार न करने के कारण रोकड़ बही व बैंक खातों के शेष में ₹2.38 लाख का अन्तरः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक

31–03–2017 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹2,37,604 का अन्तर बैंक खातों में अधिक शेष के रूप में दर्ज किया गया है।

क्र	खाता			अन्त शेष (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थितिः–			
	रोकड़ बही के अनुसार खाता ''क व ख'' – पैरा 4			**3876126**
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–				
	विवरण	**बैंक**	**खाता**	
1	पंचायत निधि– खाता 'क'	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	2539	7487
2	पंचायत निधि–खाता 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	2639	1708628
3	स्वच्छ भारत मिशन	हि•प्र•रा•स• बैंक बैरी	5065	192353
4	स्वजल धारा	पी. एन. बी. पंजगाईं	49320	168051
5	मनरेगा	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	3489	0
6	14वां वित्तायोग	हि•प्र•रा•स• बैंक बैरी	8588	1969728
7	आई. डबल्यू. एम. पी.	हि•प्र•रा•स• बैंक बैरी	8050	4171
8	हरियाली लाभार्थी अंशदान	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	3379	62814
9	हरियाली	हि•प्र•रा•स• बैंक लखनपुर	3378	0
16	खाता ''क'' की रोकड़ बही में दर्शाया गया हस्तगत शेषः			498
बैंक खातों में जमा राशि का कुल योगः				4113730
बैंक समाधान विवरणीः–				
रोकड़ बहियों के अनुसार अन्तशेषः				3876126
बैंक खातों अनुसार अन्तशेषः				4113730
अन्तर बैंक खातों में अधिक शेष के रूप में जो कि खाता 'क व ख' की संयुक्त रोकड़ बही से सम्बन्धित है :				**237604**

यह अन्तर परिलक्षित करता है कि रोकड़ बहियों के रखरखाव में कितनी लापरवाही बरती गई है। हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण के साथ पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6 रोकड़ बही का अनुरक्षण नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत धार टटोह की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते

हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत में रोकड़ बहियों के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। इनमें किसी भी प्रकार के आरम्भिक शेष/अन्तशेष (Opening/Closing Balances) नहीं लिखे/निकाले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

7 नियमविरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः—

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में पांच अलग—अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन पांच रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

8 रोकड़ बही में बिना प्रयोग किये कोरे पन्ने छोड़नाः—

पंचायत की सामान्य रोकड़ बहियों की जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार बहुत से पन्ने बिना कोई कारण स्पष्ट किए कोरे छोड़ दिए गए हैं जो कि इस सन्दर्भ में प्रतिपादित नियमों तथा समय समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई इस संदिग्ध कार्यवाही के सन्दर्भ में तथ्यपूरक उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार की चूक का न दोहराया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	रोकड़ बही	रोकड़ बही में लेखांकन की अन्तिम दिनांक	खाली छोड़े गए पृष्ठ
1	मनरेगा	17.01.2015	106 से 124 (19)
2	मनरेगा	03.12.2015	45 से 211 (167)

9 नियमों के विरूद्ध नौ बैंक बचत खातों का खोला जानाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता

'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत धार टटोह में दो के स्थान गत पैरा 5 में वर्णित नौ बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन सात अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

10 खाता 'ख' के ₹2.47 लाख के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत धार टटोह के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹2,47,192 खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या	माह/वर्ष						कुल
	9/2013	3/2014	9/2014	3/2015	9/2015	3/2016	ब्याज
2639	7155	3180	4213	6480	39451	27308	**87787**
5065	1653	4677	5843	995	165	1895	**15228**
49320	7914	8807	9130	9213	9548	8990	**53602**
3489	440	162	40	28	29	0	**699**
8588	0	0	0	0	0	39689	**39689**
8050	0	1405	2525	79	80	82	**4171**
3379	533	918	1164	1187	1211	1228	**6241**
3378	20159	13749	3371	2416	48	32	**39775**
कुल योग	**37854**	**32898**	**26286**	**20398**	**50532**	**79224**	**247192**

11 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी।

प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

12 नियमानुसार निवेश न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप—1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

13 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप —11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर

पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

14 पंचायत राजस्व ₹0.69 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत धार टटोह द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹69,100 की वसूली शेष थी।

1. **गृहकर** : पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2014–15 में 1140, 2015–16 में 1170 तथा 2016–17 में 1170 परिवारों के लिए ₹20 प्रति परिवार की दर से प्राप्य गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014–15	0	22800	22800	0	22800
2015–16	22800	23400	46200	0	46200
2016–17	46200	23400	69600	35800	33800

2. **मोबाईल टावर शुल्क** :– पंचायत क्षेत्र में स्थापित टावरों की संख्याः चार

वर्ष	अथशेश	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014.15	14000	10000	24000	3700	20300
2015.16	20300	10000	30300	5000	25300
2016.17	25300	10000	35300	0	35300

टिप्पणी 1:– हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा सचिव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के कार्यालय पत्र संख्याः पी.सी.एच. (2)8/99 दिनांक 09.11. 2006 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टॉवर से ₹4000 स्थापना शुल्क तथा ₹2000 प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है।

टिप्पणी 2:– पंचायत क्षेत्र में कुल चार मोबाइल टॉवर स्थापित हैं जिनमें से दो वोडाफोन कम्पनी द्वारा वर्ष 2006 में तथा दो एयरटैल कम्पनी द्वारा वर्श 2007 में स्थापित किये गए हैं।

टिप्पणी 3:– पंचायत क्षेत्र में स्थापित चार टॉवरों में से दो मोबाइल टॉवरों के सन्दर्भ में पंचायत द्वारा न तो कोई स्थापना शुल्क वसूल किया गया है और न ही आज तक वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली की गई है।

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

15 अनुदान ₹38.76 लाख का अवरोधनः—

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—1** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31—03—2017 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹38,76,126 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

16 मनरेगा के अनुदान की ₹7291 को बिना उपयोग वापिस करने बारेः—

मनरेगा परियोजना के बैंक खाता संख्या 11410103489 की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि चैक संख्या 861847 द्वारा दिनांक 17.04.2015 को ₹7291 को परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से बिना उपयोग किए ही खण्ड विकास अधिकारी, बिलासपुर सदर को लौटा दिया गया है। इस अनुदान को वापिस किए जाने के सन्दर्भ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने वाला न तो अन्य कोई पत्राचार/अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया और न ही खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय की प्राप्ति रसीद ही प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त इस भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज भी नहीं किया गया है। अतः अनुदान की इस राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने तथा इसका लेखांकन रोकड़ बही में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित अभिलेख का अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस राशि को खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय की प्राप्ति रसीद भी प्रस्तुत की जाए।

17 बैंक से बिना बिल/वाउचर के समर्थन के ₹7.01 लाख आहरित करके किया गया संभावित गवनः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47(1 व 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी व्यय उसे प्रमाणित करने

वाले वाउचर के बिना नहीं किया जा सकता है। परन्तु ग्राम पंचायत धार टटोह के लेखाओं की अंकेक्षणावधि के लिए जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत निधि के बैंक खातों से समय–समय पर ऐसी राशियों का आहरण किया गया है जिनके सन्दर्भ में न तो रोकड़ बही में कोई प्रविष्टि है और न ही सम्बन्धित कोई वाउचर उपलब्ध हैं अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः इस प्रकार के आहरण स्पष्टतयः संभावित गवन की ओर इंगित करते हैं। ऐसे कुछ प्रकरण जो कि जांच में सामने आए हैं को निम्न तालिका में संकलित किया गया हैः–

क्र	परियोजना	खाता	आहरणकर्ता	चैक सं.	आहरण दिनांक	आहरित राशि (₹)
1	मनरेगा	3489	हि. प्र. ना. आ. कार्प.	861836	04.10.2014	41050
2	मनरेगा	3489	मनोज कुमार	861846	24.11.2014	8200
3	हरियाली	3378	परमानन्द, पूर्व प्रधान	641744	20.06.2014	60000
4	हरियाली	3378	परमानन्द, पूर्व प्रधान	641749	25.07.2014	30800
5	हरियाली	3378	परमानन्द, पूर्व प्रधान	628062	14.03.2015	100000
6	हरियाली	3378	परमानन्द, पूर्व प्रधान	628065	08.02.2016	130000
7	हरियाली	3378	परमानन्द, पूर्व प्रधान	628064	10.04.2015	50000
8	आई डबल्यू एम पी	8050	परमानन्द, पूर्व प्रधान	254251	18.05.2015	210000
9	आई डबल्यू एम पी	8050	परमानन्द, पूर्व प्रधान	254255	03.08.2015	70600
					कुल योगः–	**700650**

अतः यह गम्भीर अनियमितता विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाई जाती है जिसकी उच्च स्तरीय विस्तृत विभागीय जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस राशि की वसूली दोषियों से करते हुए नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 स्व स्त्रोतों की आय को बैंक में जमा न करवाकर व्यय हेतु उपयोग करके किया गया ₹1.26 लाख का संभावित गवनः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धनराशियों को बैंक में खोले गए खाता ''क'' अथवा ''ख'' जिससे भी वह राशि सम्बन्धित है में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत धार टटोह के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत को स्व–स्त्रोतो जैसे गृहकर इत्यादि की मद में प्राप्त समस्त राशि को बैंक में जमा करवाने के स्थान पर उसी दिन अथवा प्राप्ति के कुछ ही दिनों के भीतर नकद रूप में व्यय कर दिया

गया है। नमूना अंकेक्षण जांच के दौरान सामने आए कुछ प्रकरण जिनमें ₹126400 का भुगतान किया गया है, निम्न तालिका में संकलित किए गए हैंः–

क्र.	दिनांक	रोकड़ पृष्ठ	भुगतान राशि	कार्य का नाम
1	22.08.15	76	29450	झाड़ी कटान
2	22.08.15	76	21930	झाड़ी कटान
3	30.09.15	77	11050	झाड़ी कटान
4	30.09.05	77	13940	झाड़ी कटान
5	31.12.15	81	23850	झाड़ी कटान
6	31.12.15	81	26180	झाड़ी कटान
		कुल योग	**126400**	

मुख्यतः स्व–स्त्रोतों की आय को ''मस्ट्रौल पर झाड़ी कटान की मज़दूरी'' के भुगतान के रूप में दर्ज किया गया है। इन मस्ट्रौलों पर करवाए गए कार्य के सन्दर्भ में मुख्यतः निम्नलिखित विसंगतियां अंकेक्षण जांच के दौरान पाई गई हैंः–

1. इन मस्ट्रौलों का भुगतान रोकड़ बही में उसी दिन नकद रूप में दर्ज किया गया है जिस दिन पंचायत को स्व–स्त्रोतों से आय प्राप्त हुई है।
2. इन कार्यों के सन्दर्भ में किसी प्रकार का प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है।
3. इन कार्यों के सन्दर्भ में किसी सक्षम अधिकारी की व्यय व प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई है।
4. इन कार्यों को तकनीकी सहायक द्वारा किसी मापन पुस्तिका में दर्ज नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. मस्ट्रौल पर रखे गए मज़दूरों द्वारा किस दिन कितना कार्य किया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है।
6. मस्ट्रौल को तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित/प्रमाणित नहीं किया गया है।
7. मस्ट्रौल में सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि इस ₹126400 का गवन किया गया है तथा जिसके लिए झाड़ी कटान जैसी व्यय की वह मद चुनी गई है जिसमें किए गए कार्य का दो–तीन माह पश्चात ही प्रत्यक्ष सत्यापन संभव न हो सके। अतः यह गम्भीर अनियमितता विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाई जाती है जिसकी उच्च स्तरीय विस्तृत विभागीय जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस राशि की

वसूली दोषियों से करते हुए नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 बिना वाउचर/बिलों के व्यय रोकड़ बही में दर्ज करके किया गया ₹3.04 लाख का संभावित गबनः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत धार टटोह के चयनित माह के वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार दर्ज ₹3,04,045 के व्यय के विरूद्ध किसी भी प्रकार के बिल वाउचर नस्तियों में उपलब्ध नहीं थे। बिना वाउचर/बिलों के रोकड़ बहियों में दर्ज यह संदिग्ध व्यय स्पष्टतयः संभावित गबन की ओर इंगित करता है। अतः यह गम्भीर अनियमितता विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाई जाती है जिसकी उच्च स्तरीय विस्तृत विभागीय जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस राशि की वसूली दोषियों से करते हुए नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र॰	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
	खाता 'क व ख' सामान्य पंचायत निधि रोकड़ बहीः–			
1	25.04.14	43	बिना बिल/वाउचर के सीमेन्ट का भुगतान दर्ज किया गया है	18900
2	28.06.14	46	बिना वाउचर के ''ठाकुर अर्थ मूवर'' को ''कार्यपूर्ती सड़क सोलग टंगार'' के भुगतान प्रविष्टि की गई है तथा वाउचर फाइल में एक सफेद कागज़ पर मात्र उपरोक्त विवरण लिखकर रखा गया है	33600
3	25.08.14	50	बिना बिल/वाउचर के सीमेन्ट का भुगतान दर्ज किया गया है तथा वाउचर फाइल में एक सफेद कागज़ पर सोमा देवी, भण्डारू राम तथा लता देवी की तरफ से 200 बोरी सीमेन्ट की सामूहिक प्राप्ति रसीद रखी गई है।	41050
4	25.08.14	51	बिना किसी विवरण के मात्र कच्ची (लैड) पेंसिल से व्यय की राशि लिखी गई है	15500
5	29.11.14	56	बिना किसी विवरण के मात्र कच्ची (लैड) पेंसिल से व्यय की राशि लिखी गई है	8000
6	28.04.15	67	बिना वाउचर के ''विविध व्यय'' लिख कर प्रविष्टि की गई है	8000
7	27.05.15	71	बिना वाउचर के ''विविध व्यय'' लिख कर प्रविष्टि की	7500

			गई है	
8	27.05.15	72	बिना वाउचर के ''खाता निर्माण'' लिख कर प्रविष्टि की गई है	9890
9	27.05.15	72	बिना वाउचर के ''खाता निर्माण'' लिख कर प्रविष्टि की गई है	11535
10	29.07.15	74	बिना वाउचर के ''विविध व्यय'' लिख कर प्रविष्टि की गई है	8000
11	22.06.16	06	बिना किसी विवरण के मात्र व्यय की राशि लिखी गई है	2500
	हरियाली रोकड़ बही:–			
12	23.07.14	002	बिना बिल/वाउचर के 100 बोरी सीमेन्ट का भुगतान	20525
13	14.11.14	005	बिना बिल/वाउचर के 100 बोरी सीमेन्ट का भुगतान	20525
14	14.11.14	005	बिना बिल/वाउचर के 100 बोरी सीमेन्ट का भुगतान	20525
15	14.11.14	005	बिना बिल/वाउचर के 100 बोरी सीमेन्ट का भुगतान	20525
16	14.11.14	005	बिना बिल/वाउचर के 100 बोरी सीमेन्ट का भुगतान	20525
17	31.01.15	006	बिना बिल/वाउचर के 100 बोरी सीमेन्ट का भुगतान	36945
			कुल योग	**304045**

20 बिना उचित बिलों के किया गया ₹6.03 लाख का संदिग्ध व्ययः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत धार टटोह के अंकेक्षणावधि के चयनित माह के वाउचरों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि रोकड़ बहियों में दर्ज ₹6,02,610 के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' सामान्य रोकड़ बही			
1	30.09.15	77	ईंटें रेत व बजरी	10850
2	31.10.15	79	ग्राम सभा का प्रचार प्रसार	9250
	हरियाली रोकड़ बही			
3	30.09.14	003	पत्थर	27600
4	30.09.14	003	पत्थर	26400
5	30.09.14	003	पत्थर	26000
6	25.10.14	004	रेत	24000
7	25.10.14	004	रेत	21700
8	25.10.14	004	बजरी	25000
9	31.01.15	006	रेत	20000
10	31.01.15	006	पत्थर	16800

11	31.01.15	006	पत्थर	24264
12	31.01.15	006	पत्थर	21600
13	31.01.15	006	पत्थर	24264
14	31.01.15	006	पत्थर	24000
15	31.03.15	007	बजरी	26000
16	31.03.15	007	बजरी	26000
17	31.03.16	011	रेत व बजरी	20400
18	31.03.16	011	रेत व बजरी	18582
	आई डबल्यू एम पी रोकड़ बही			
19	18.05.15	21	बजरी	65739
20	18.05.15	21	रेत	37696
21	18.05.15	21	रेत व बजरी की ढुलाई	36685
22	18.05.15	21	शटरिंग	15380
23	22.08.15	22	रेत व बजरी	34800
24	22.08.15	22	खच्चरों पर रेत व बजरी की ढुलाई	19600
	कुल योग			**602610**

इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा कम्पयूटर पर टाइप किए अथवा हस्तलिखित बिल/प्रार्थना पत्र पर ही बड़ी बड़ी राशियों का भुगतान करते हुए अपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है और पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

21 निर्माण सामग्री की खरीद उचित बिलों के बिना करनाः–

गत पैरा में दिया गया विवरण मात्र अंकेक्षणावधि के लेखाओं की जांच से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी देखने में आया था कि पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों विशेषतः मनरेगा कार्यों के लिए रेत, बजरी, पत्थर, ईंट इत्यादि निर्माण सामग्री की खरीद भी इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत बिना उचित बिलों के की गई है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन

प्रकरणों की भी पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

22 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹6.03 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि गत पैरा 20 में उद्धृत ₹6,02,610 प्रकरणों के अतिरिक्त निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सरिया तथा स्ट्रक्चरल स्टील की खरीद भी निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त विवरण मात्र चयनित माह से सम्बन्धित है तथा इसके अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर मामलों में जिनका मूल्य ₹3000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया है। यद्यपि वर्ष 2016–17 से रेत, बजरी, पत्थर तथा ईंट इत्यादि के लिए निविदाएं तो एकत्र की गई हैं परन्तु इन्हें एकत्र करते समय नियमानुसार प्रावधित निविदा आमन्त्रण पत्र जारी करना, निविदा समिति बनाना, तुलनात्मक विवरणी बनाना आदि औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया है। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23 व्यय सम्बन्धी अनियमितताएँः–

पंचायत निधि के की रोकड़ बही के पृष्ठ 43 पर दिनांक 25.04.2014 को दर्ज ₹25,450 के व्यय की जांच के दौरान पाया गया कि यह भुगतान श्री चमन लाल, सरकारी ठेकेदार को ''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान'' की राशि में से 570 वर्ग फीट दीवारों की रंगाई व उन पर लिखाई हेतु किया गया था। परन्तु यह व्यय प्रतिपादित नियमों के अनुसार नहीं किया गया है। इस व्यय के सन्दर्भ में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. दीवार पर की गई लिखी गई विशयवस्तु का कोई विवरण बिल वाउचर में उपलब्ध नहीं है।

2. किस दीवार पर और कहां पर यह लिखाई की गई थी का कोई विवरण इस बिल/वाउचर में नहीं दिया गया है।

3. जिस दीवार पर यह लिखाई की गई है उसके मालिक का अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं लिया गया है।

4. लिखी गई विशयवस्तु कितने समय तक दीवार पर प्रदर्शित की जाएगी, इस बात का भी कोई विवरण अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मालिक के अनापत्ति प्रमाणपत्र के अभाव में तथा प्रदर्शन अवधि निर्धारित न होने के कारण दीवार मालिक उसे अपनी मर्जी से कभी भी मिटा सकता है। जिससे किया गया व्यय व्यर्थ जा सकता है।

उपरोक्त विसंगतियों के कारण इस व्यय की पूर्ण जांच अंकेक्षण के दौरान संभव नहीं हो पाई। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 ₹0.30 लाख की बैंक प्राप्तियों तथा ब्याज की आय का रोकड़ बही में लेखांकन न करने बारेः–

पंचायत के लेखाओं तथा बैंक खातों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि कुछ प्रकरणों में निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार ₹30,096 की बैंक में ऑनलाइन प्राप्तियों तथा बैंक द्वारा दिए गए ब्याज को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया है। इस कारण से पंचायत की वित्तीय स्थिति का मिलान अंकेक्षण के दौरान संभव नहीं हो पाया। यह एक अति गम्भीर त्रुटि है जिसके बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इन राशियों तथा इसके जैसे अन्य प्रकरणों का रोकड़ बही में लेखांकन सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	परियोजना	खाता	दिनांक	राशि	स्त्रोत
1	मनरेगा	3489	09/2014 से 03/2016	259.00	ब्याज़
2	पंचायत निधि	2639	31.03.2017	29837	ऑनलाइन जमा
			कुल योग	**30096.00**	

25 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–

रसीद बुकों के स्टॉक की जांच में पाया गया कि इसे हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं

रखा जा रहा है। इस नियम के अन्तर्गत रसीद बुकों के अभिलेखन के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:–

1. इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि•प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जाएगा।
2. खाली रसीद बुकें सचिव की निजि अभिरक्षा में अलमारी में ताला लगा कर रखी जाएगी।
3. नई रसीद बुक को आरम्भ करने से पूर्व प्रधान द्वारा उसमें पाई गई खाली रसीदों को प्रमाणपत्र सहित सत्यापित किया जाएगा।

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप ''4'' के अनुसार बनाए गए स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत धार टटोह में इस सन्दर्भ में जो अभिलेख तैयार किया गया है वह नमूना अंकेक्षण जांच के दौरान अपूर्ण पाया गया है वर्श 2005 के पश्चात जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त सभी रसीदों का कोई लेखांकन इस रजिस्टर में नहीं किया गया है। जिस कारण से अंकेक्षणावधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका है तथा न ही उसकी नमूना अंकेक्षण जांच सम्भव हो पाई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणावधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 दिनांक रहित रसीदें जारी करना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बहुत सी प्राप्तियों के लिए जारी रसीदों पर जारी करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है। जो कि नियमविरूद्ध होने के अतिरिक्त निधियों का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप–3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषतः आर• टी• जी• एस•/ऑलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 जारी प्रमाणपत्रों के शुल्क की वसूली न करना तथा सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण/संकलन न करनाः–

पंचायत कार्यालय विवाह, जन्म व मृत्यु, परिवार, राशन कार्ड इत्यादि के लिए पंजीकरण कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है तथा हि•प्र• पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 100 के प्रावधानों के अनुसार इनके पंजीकरण के समय पंजीकरण शुल्क तथा सम्बन्धित प्रमाणपत्र जारी करते समय प्रमाणपत्र शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित है जो कि पंचायत की आय का एक प्रमुख स्त्रोत है। परन्तु पंचायत अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन मदों में अंकेक्षणावधि के दौरान किसी प्रकार की वसूली नहीं की गई है। और यदि की भी गई है तो इससे सम्बन्धित संकलित अभिलेख की अंकेक्षण जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया है, और न ही सम्बन्धित रजिस्टरों में वसूली के बारे में कोई सन्दर्भ दिया गया है। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है जिस बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण के अतिरिक्त दोषी के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा भविष्य हेतु सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29 भुगतान आदेश पारित किए बिना बिलों का भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। परन्तु पंचायत के लेखाओं

की चयनित माह हेतु अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा अधिकतर बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया जा रहा है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

30 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः—

वाउचर फाइलों की जांच में पाया गया कि व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए हैं। यह हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस लापरवाही तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का अनुरक्षरण न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत धार टटोह में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

32 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनियमित रूप से ₹40000 की सहायता राशि वितरित करनाः—

पंचायत निधि की रोकड़ बही के पृष्ठ 80 पर दिनांक 27.11.2015 को दर्ज प्रविष्टि के अनुसार कमला देवी पत्नी प्रेम लाल गांव धार टटोह को ₹40,000 इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत सहायता राशि के रूप में वितरित किया जाना दर्शाया गया है। परन्तु इससे सम्बन्धित किसी प्रकार का अभिलेख जैसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पत्र, मकान बनाए जाने के स्थान की जमाबन्दी तथा ततीमा, लाभार्थी की तरफ से नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर दिया जाने वाला शपथ पत्र इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। मौखिक तौर पर बताया गया कि इस लाभार्थी के हित में आवेदन उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी तदापि तत्कालीन पंचायत तथा पंचायत सचिव द्वारा इस राशि को श्रीमति कमला देवी को वितरित कर दिया गया था। यह प्रकरण

स्पष्टतयः पंचायत की कार्य प्रणाली की कमियों तथा एक और संभावित गवन की ओर इंगित करता है। अतः यह गम्भीर अनियमितता विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाई जाती है जिसकी उच्च स्तरीय विस्तृत विभागीय जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस राशि की वसूली दोषियों से करते हुए नियमानुसार अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33 इन्दिरा/राजीव/अटल आवास योजना के लाभार्थियों के संकलित अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः—

अंकेक्षाणावधि के तीन वर्षों 04/2014 से 03/2017 के दौरान इन्दिरा/राजीव/अटल आवास योजना के अन्तर्गत पंचायत द्वारा लाखों रुपये चयनित लाभार्थियों को गृह निर्माण हेतु आबंटित किये गए हैं। परन्तु पंचायत में इन लाभार्थियों के सन्दर्भ में रोकड़ बही में भुगतान प्रविष्टियों तथा वाउचर नस्तियों में रसीद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अभिलेख उपलब्ध नहीं था। अंकेक्षण में न तो सक्षम प्रधिकारी द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची और न ही आवेदन पत्र, मकान बनाए जाने के स्थान की जमाबन्दी/ततीमा इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से हि•प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34(25) के प्रावधानों का अवहेलना है। अतः इस बारे में तथ्यपूर्ण उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त उपरोक्त अभिलेख उचित प्रारूप में तैयार करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

34 मस्ट्रौल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना करके किया गया ₹4.74 लाख का अनियमित भुगतानः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 (1 से 7) के प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणन उपरान्त जारी मस्ट्रौल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाज़िरी लगाने के लिए ''मस्ट्रौल जारी करने के रजिस्टर'' में प्रविष्टि के उपरान्त जारी किए जाएंगे। इन्ही नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रौल का अभिलेखन व अनुरक्षण हि• प्र• लोक निर्माण विभाग की कार्यपद्धति पर किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत धार टटोह द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रौल की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की सर्वथा अवहेलना की गई है तथा

₹4,73,960 का अनियमित भुगतान किया गया है। मुख्य रूप से इन मस्ट्रौल में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1. प्रयोग किए गए मस्ट्रौल में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है। मस्ट्रौल पर रखे गए मज़दूरों से सम्बन्धित विकास/निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है।
2. मस्ट्रौल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा न तो किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित किया गया है और न ही किए गए कार्य का विवरण दर्ज किया गया है जिससे कि भुगतान किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जा सके।
3. मस्ट्रौल में एक–दो को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं।
4. पंचायत के लिए मस्ट्रौल जारी करने के एकल रजिस्टर के स्थान पर अलग–अलग योजनाओं के आधार पर अलग–अलग लगाए गए हैं।
5. मस्ट्रौल रजिस्टरों का माह 07/2013 के पश्चात अद्यतन (Update) नहीं किया गया है।

उदाहरण हेतु अंकेक्षण जांच के दौरान चयनित माह में पाए गए त्रुटिपूर्ण मस्ट्रौल तथा ₹4,73,960 के अनियमित भुगतान को निम्न तालिका में संकलित किया गया हैं:–

क्र	दिनांक	रोकड़ पृष्ठ	भुगतान राशि (₹)	कार्य का नाम
	हरियाली परियोजना:–			
1	16.06.14	001	29920	रौ खड्ड में धर्मदास की जमीन के पास क्रेटवायर चैक डैम।
2	16.06.14	001	29920	रौ खड्ड में कुलदीप की जमीन के पास क्रेटवायर चैक डैम।
3	25.07.14	002	30770	रौ खड्ड में प्रेमलाल की जमीन के पास क्रेटवायर चैक डैम।
4	31.03.15	007	33150	जेरख पुल के पास क्रेटवायर चैक डैम।
5	31.03.15	007	33150	प्रेमलाल की जमीन के पास क्रेटवायर चैक डैम।
6	31.03.15	007	33660	बीरबल के घर के पास क्रेटवायर चैक डैम।
7	10.04.15	010	49980	डिब द्रोबड़ नाले के पास क्रेटवायर चैक डैम।
8	08.02.16	010	40460	जोगिन्दर की जमीन के पास क्रेटवायर चैक डैम।
9	08.02.16	010	44710	रौ खड्ड, धार में पक्का चैक डैम।
10	08.02.16	010	44710	अनन्त राम के घर के पास क्रेटवायर चैक डैम।
	आई. डबल्यू. एम. पी. परियोजना:–			
11	18.05.15	021	52530	बरोटू से बल्ह तक सिंचाई कूहल।
12	22.08.15	022	51000	सिंचाई टैंक नली चंगर।
कुल योग:–			**473960**	

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसे सुधारात्मक कार्यवाही करके तथा सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर प्रशासनिक स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

35 निर्माण कार्यों के निष्पादन में ₹0.49 लाख के मूल्य की निर्माण सामग्री की मानक प्रमात्रा से अधिक खपत करनाः–

अंकेक्षणावधि के दौरान निष्पादित निर्माण कार्यों की अंकेक्षण जांच के दौरान अलग अलग निर्माण कार्यों के बिलों की माप पुस्तिकाओं की अंकेक्षण जांच के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार ₹49,279 के मूल्य की निर्माण सामग्री की मानक प्रमात्रा से अधिक खपत तथा भुगतान किया गया हैः–

1. **कार्य का नामः– पनाली मन्दिर के लिए पक्के पैदल रास्ते का निर्माण**
मापन पुस्तिका क्रमांकः– 6759, पृष्ठ 6 व 19
पूर्णता दिनांकः– दिसम्बर 2014

मद का नाम	**निष्पादित मात्रा**	**सीमेन्ट (बोरी)**	**रेत**	**बजरी**
1:3:6 सीमेंट कंक्रीट की मानक प्रमात्रा	13.50 $मी^3$	59	6.35	12.69
वास्तविक खपतः–		72	15.0	20.0
अधिक खपतः–		13	8.65	7.31
लागत मूल्य दर (₹)		235	1600	1600
अधिक भुगतानः–		**3055**	**13840**	**11696**
(क) इस कार्य में कुल अधिक भुगतानः 3055+13840+11696				**28591**

2. कार्य का नामः– टंगार से कोटली तक सिचाई कूहल का निर्माण
मापन पुस्तिका क्रमांकः– 6759 व 6813 पृष्ठ 71, 87 व 009
पूर्णता दिनांकः– मार्च 2016

1:3:6 सीमेंट कंक्रीट की मानक प्रमात्रा	20.15 $मी^3$	87	9.47	18.94
वास्तविक खपतः–		119	12.63	24.01
अधिक खपतः–		32	3.16	5.07
लागत मूल्य दर *(लागत की प्रविष्टि मापन पुस्तिका में न किए जाने के कारण क्रमांक 1 के कार्य की दरों के आधार पर गणना की गई है)*		235	1600	1600
अधिक भुगतान		**7520**	**5056**	**8112**
(ख) इस कार्य में कुल अधिक भुगतानः 7520+5056+8112				**20688**
कुल अधिक भुगतानः– (क+ख)			**49279.00**	

उपरोक्त प्रकरण की जांच करके तथ्यपूरक वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अथवा उचित स्त्रोत से अधिक किए गए भुगतान/खपत की प्रतिपूर्ती सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

36 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः—

ग्राम पंचायत धार टटोह के लेखाओं की वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख की अंकेक्षण जांच उपरान्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः—

1. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी/संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के **''परिशिष्ट – ई''** में दिए गए अनुबन्ध प्रारूप के अनुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निश्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।
2. निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।
3. इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है।
4. हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की अंकेक्षण जांच में दिक्कतें आई हैं। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।
5. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए जाने हेतु खरीदी गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अब हि•प्र• पंचायती राज (वित

बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में मैटीरियल ऐट साईट/स्टॉक रजिस्टर को हि॰ प्र॰ लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस त्रुटि के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. तकनीकी सहायक द्वारा किसी भी निर्माण कार्य की पूर्णता की दिनांक तथा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाणपत्र न तो मापन पुस्तिका में तथा न ही निर्माण कार्यों के रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। अभिलेख का यह अधूरा अनुरक्षण न केवल कार्यशैली में उदासीनता को प्रकट करता है बल्कि नियमविरूद्ध होने के कारण अनियमित भी है।

7. हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

37 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव नियमानुसार न करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 8 के नियम 66 से 73 तक में पंचायत द्वारा खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्रावधित नियमों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत धार टटोह द्वारा स्टॉक रजिस्टरों विशेशतः निर्माण सामग्री के स्टॉक

रजिस्टर का अनुरक्षण माह 12/2016 के पश्चात ही किया गया है तथा इससे पूर्व की अवधि में खरीदी गई सामग्री का कोई स्टॉक रजिस्टर पंचायत कार्यालय में मौजूद नहीं था अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्थाई सामग्री के स्टॉक रजिस्टर में भी वस्तु के मूल्य, आपूर्तीकर्ता तथा उसके बिल व वारँटी इत्यादि को दर्ज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु खरीदी गई सामग्री का लेखांकन करते समय हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 11 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है। यह एक गम्भीर चूक है तथा सामग्री के स्टॉक रजिस्टरों में लेखांकन तथा उसके उपभोग के विवरण के अभाव में किया गया समस्त व्यय अनियमित है। अतः इस बारे में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करके इसका नियमतीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेश सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

38 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

39 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	——	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	15(1)
5	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	——	——

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

40 पंचायत पदाधिकारियों को देय मानदेय के सम्पूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः—

पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में मानदेय रजिस्टर में मात्र भुगतान की प्रविष्टियां ही दर्ज की जाती हैं। अतः इस अधूरे अभिलेख के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

41 **लघु आपति विवरणिकाः—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

42 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमयनुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xii) 24/2017—खण्ड—1—6009—6012 दिनाँक,6.10.17.
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत धार टटोह, विकास खण्ड सदर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर्, तहसील सदर जिला बिलासपुर हि0प्र0

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046